



2026:AHC:178165

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8724 सन् 2026

लालबहादुर सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अभिषेक मिश्रा, मृगराज सिंह, प्रखर सारन श्रीवास्तव

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक-लालबहादुर सिंह को मुकदमा अपराध संख्या 0016 सन् 2020, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी एवं 34 भा.द.सं. तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2), थाना- वाराणसी सेक्टर (ई.ओ.डब्ल्यू.), जनपद- वाराणसी के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक अवर अभियंता (जूनियर इंजीनियर) है तथा यह अभिकथित है कि जिस सड़क के निर्माण के संबंध में मस्टर रोल तैयार किया गया था, जांच करने पर यह पाया गया कि सड़क मशीनों द्वारा तैयार की गई थी तथा मस्टर रोल कूटरचित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2020 में वर्ष 2004-05 के अपराध के संबंध में दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में असाधारण विलंब है। आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण शपथ-पत्र के अनुच्छेद संख्या 43 में दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि आवेदक निर्दोष है तथा उसका वर्तमान मामले से कोई संबंध नहीं है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए अभिकथन असत्य हैं। आवेदक के विरुद्ध कोई प्रथम-दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। यदि आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा। आवेदक को पुलिस द्वारा किसी भी समय गिरफ्तार किए जाने की आशंका है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने प्रार्थना का विरोध किया, किंतु तथ्यात्मक स्थिति को विवादित नहीं किया।
5. विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रश्नगत अपराध का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह भी नहीं दर्शाया गया है कि इस कृत्य से समाज को कोई हानि पहुंचती है। अभिकथन व्यक्तियों के मध्य विवाद से उत्पन्न हुए हैं। विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि अभिकथनों की प्रकृति एवं गंभीरता ऐसी है कि इससे आवेदक अग्रिम जमानत की राहत से वंचित हो जाए। विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह चिंता नहीं उठाई गई है कि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की दशा में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पूर्ण विवेचना को कोई पूर्वाग्रह पहुंचेगा। राज्य के विद्वान ए.जी.ए. द्वारा ऐसी कोई सामग्री, तथ्य, परिस्थिति अथवा चिंता नहीं दर्शाई गई है कि अभियुक्त साक्ष्य अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है अथवा अभियुक्त ऐसे चरित्र का है कि उसकी मात्र उपस्थिति से साक्षीगण भयभीत हो जाएंगे अथवा अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय को विफल करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने हेतु करेगा।
6. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक के आपराधिक इतिहास की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। पूर्ववर्ती आपराधिक मामलों में साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ अथवा साक्षियों को भयभीत किए जाने के संबंध में न्यायालय के संज्ञान में कोई सामग्री अथवा परिस्थिति नहीं लाई गई है।
7. **एश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 एस.सी.सी. 446** (Ash Mohammad Vs. Shiv Raj Singh) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 30 में यह अभिनिर्धारित किया है:- “हम यह जोड़ना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि अभियुक्त एक हिस्ट्री-शीटर है, तो इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि हमने यह कहा है कि हिस्ट्री-शीटर कभी भी जमानत का हकदार नहीं होता। किंतु, यह उस अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, जिसमें उसे अभियुक्त बनाया गया है, ध्यान में रखे जाने योग्य एक महत्वपूर्ण कारक है।”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य, 2020 (11) एस.सी.सी. 648**

(Prabhakar Tewari Vs. State of U.P. and another) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र स्वयं में जमानत अस्वीकार किए जाने का आधार नहीं हो सकता।

9. जहां तक आवेदक के आपराधिक इतिहास का संबंध है, यह राज्य का मामला नहीं है कि आवेदक विवेचना के साथ छेड़छाड़ करेगा अथवा अन्यथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, अथवा वह विचारण के पूर्व अथवा दौरान साक्षियों को भयभीत करेगा। राज्य द्वारा ऐसी भी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि आवेदक ने अतीत में विधि की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया हो। यदि अभियुक्त अन्यथा जमानत का हकदार पाया जाता है, तो उसे केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता, आपराधिक पूर्ववृत्त के आधार पर अभियुक्त को जमानत से वंचित करने हेतु कोई अपवादात्मक परिस्थिति नहीं दर्शाई गई है, अतः न्यायालय इस आधार पर आवेदक को जमानत से वंचित करना उचित नहीं समझता कि उसका आपराधिक पूर्ववृत्त रहा है।

10. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य के विद्वान ए.जी.ए. द्वारा ऐसी कोई सामग्री अथवा परिस्थिति नहीं दर्शाई गई है जो यह इंगित करे कि आवेदक न्याय से भाग सकता है अथवा न्याय की प्रक्रिया को विफल कर सकता है अथवा अपराध की पुनरावृत्ति अथवा साक्षियों को भयभीत करने के रूप में अन्य बाधाएं उत्पन्न कर सकता है।

11. उपरोक्त के दृष्टिगत, आवेदक को वर्तमान आदेश के अनुच्छेद 2 में वर्णित अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है। आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप **₹. 25,000/-** के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाएगा:-

(i) आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत करने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
 - (iv) आवेदक द्वारा आवासीय पता परिवर्तित किए जाने की दशा में, आवेदक संबंधित न्यायालय/विवेचना अधिकारी को लिखित रूप में नए आवासीय पते के बारे में सूचित करेगा।
 - (v) आवेदक विवेचना में सहयोग करेगा तथा जब भी आवश्यक हो, पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा।
 - (vi) आवेदक पुलिस विवेचना में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा तथा पुलिस द्वारा एकत्रित की गई अथवा एकत्रित की जाने वाली साक्ष्य के साथ कोई शरारत नहीं करेगा।
 - (vii) आवेदक विधि-व्यवस्था बनाए रखेगा।
 - (viii) आवेदक बंधपत्र के निष्पादन के समय अपना पता तथा मोबाइल नंबर विवेचना अधिकारी तथा संबंधित न्यायालय को उपलब्ध कराएगा।
 - (ix) आवेदक विचारण के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहेगा तथा उपरोक्त अपराधों हेतु विचारण पूर्ण करने में न्यायालय को सहयोग करेगा।
 - (x) आवेदक अथवा उसके अधिवक्ता की संबंधित न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति को वर्तमान आदेश का उल्लंघन समझा जाएगा तथा संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार बलात् उपाय अपनाने हेतु स्वतंत्र होगा।
12. किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, विवेचना अधिकारी आवेदक को प्रदत्त संरक्षण के निरस्तीकरण हेतु समुचित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा।
13. उपरोक्त निदेशों के साथ, अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

24 अगस्त, 2026

वी.एम.ए.

(विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।